कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर को प्रेषित [illegible] सचिव, महामहिम [illegible]
कुलाधिपति के पत्र संख्या ई.प्र.2884/जी.एस., दिनांक-05.0[illegible].2007 की प्रमाणित प्रति-

आपके पत्रांक 2490/सम्बद्धता/2006, दिनांक 30.08.20[illegible] के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के अधीन बाबू राम सिंह महाविद्यालय, खाड़पाथर, मुर्धवा (रेनुकूट), सोनभद्र को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी.एड. पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक-01.07.2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में सन्निहित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित [illegible] मानकों को पूर्ण करेगी एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित [illegible] शर्तों का अनुपालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्ति एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत [illegible] के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: पू.वि.वि./सम्ब./2007/06 07(भाग 1)/ 3390 दिनांक 11-1-07

प्रतिलिपि :-

1. प्रबन्धक/प्राचार्य, बाबू राम सिंह महाविद्यालय, खाड़पाथर, मुर्धवा (रेनुकूट), सोनभद्र को इस आशय से प्रेषित कि महाविद्यालय उपरोक्त पाठ्यक्रम में निर्धारित सीटों से अधिक प्रवेश नहीं लेगा। अनुमति सत्र 2006-07 से प्रदान की जा रही है।
2. उप/सहा. कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/[illegible]/स्टोर।

कुलसचिव

प्राचार्य
बाबू राम सिंह महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेनुकूट)
सोनभद्र